

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विधि-01-64/2023 **486 (17)**

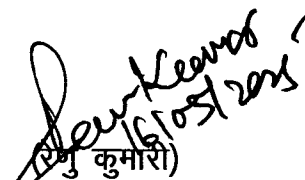
पटना, दिनांक :-16/05/2025

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत निम्नांकित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर/चिकित्सा पदाधिकारी को NEET-SS 2024 के Counselling में भाग लेने/नामांकन हेतु विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र संख्या-915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नामांकन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के तत्काल बाद तीन वर्षीय बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
01	Durganand	30-11-1983	44(17) 11.01.2025	SKMCH, Muzaffarpur	NEET-SS-2024
02	Rajesh Kumar Rai	11-10-1991	47(17) 11.01.2025	PMCH, Patna	NEET-SS-2024
03	Vivek Kumar	16-02-1985	52(17) 11.01.2025	NMCH, Patna	NEET-SS-2024
04	Raj Kishore	21-01-1994	96(17) 24.01.2025	SKMCH, Muzaffarpur	NEET-SS-2024
05	Pawan Kumar Tiwari	03-02-1987	55(17) 20.01.2023	RH, LALGANJ, VAISHALI	NEET-SS-2024
06	Md. Jawed Akhtar	27-04-1982	74(17) 16.01.2024	SH, AURANGABAD	NEET-SS-2024
07	Kundan	01-11-1994	83(17) 16.01.2024	RH, MAKHDUMPUR, JEHANABAD	NEET-SS-2024

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से उच्चतर शिक्षा (NEET-SS-2024) पाठ्यक्रम हेतु आवंटित संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रम करने के लिए ही अग्रेतर कार्यवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(**डॉ. कुमार**)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17 विविध-01-64/2023 486 (17)

पटना, दिनांक :-16/05/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित है कि विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020 सह- पठित-शुद्धि पत्र संख्या 915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से आवश्यक शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर/चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।